न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 272/एक/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 09.01.2013– पारित व्दारा अपर कलेक्टर भिण्ड – प्रकरण क्रमांक 09/2012–13 निगरानी

ध्रुवसिंह पुत्र मर्जाद सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम कनावर तहसील व जिला भिण्ड ––– आवेदक

विरूद्ध

1– अशोक सिंह पुत्र पदम सिंह
2– पदमसिंह पुत्र देशराज सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम अटा का टाड़ा
तहसील व जिला भिण्ड ––––– अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 8 – 9 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/201213 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09.01.2013 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने नायव तहसीलदार वृत्त फूफ तहसील भिण्ड के समक्ष आवेदन देकर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम कनावर की भूमि सर्वे क्रमांक 2090 एंव 2103 कुल किता 2 कुल रकबा 1.619 है0 पर नामान्तरण की मांग की, जिस पर से नायव तहसीलदार फूफ ने प्रकरण क्रमांक 43 अ–6/06–07 पंजीबद्ध कर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई उपरांत

आदेश दिनांक 19.9.07 पारित किया तथा केतागण का नामांतरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 93/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 11.8.08 से अपील स्वीकार कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.8.08 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन दिनांक 5.8.11 प्रस्तुत करने पर नायव तहसीलदार वृत्त फूफ ने प्रकरण कमांक 23/10-11-अ-6 पंजीबद्ध कर अंतरिम आदेश दि. 11.9.12 एंव 13.9.12 पर पक्षकारों की सुनवाई की। इन अंतरिम आदेशों को आधार बनाकर आवेदक ने अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर प्र.क. 9/12-13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9.1.13 से निगरानी स्वीकार कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के आदेश दिनांक 11.8.08 अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अनावेदकगण ने ग्राम कनावर की भूमि सर्वे कमांक 2090 एंव 2103 कुल किता 2 कुल रकबा 1.619 है0 पर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण की मांग की है एंव नायव तहसीलदार ने हितबद्ध पक्षों को श्रवण का नामान्तरण स्वीकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के आदेश दि. 11.8.08 से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर आवेदक के आवेदन पर नायव तहसीलदार ने पुनः

सुनवाई प्रारंभ की है। नायव तहसीलदार व्दारा की जा रही सुनवाई से अप्रशन्न होकर आवेदक ने अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी की है। विचार योग्य बिन्दु यह है कि नायव तहसीलदार फूफ व्दारा सुनवाई के दौरान की गई कार्यवाही से किसी पक्ष विशेष को कोई हानि दृष्टिगत है? नायव तहसीलदार फूफ के प्रकरण कमांक 23/10-11 अ 6 के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ है कि उनके व्दारा की रही सुनवाई से किसी पक्ष विशेष को लाभ पहुंचाने अथवा पक्षपात की कार्यवाही का आभाष होता हो, क्योंकि नायव तहसीलदार फूफ व्दारा प्र.क. 43 अ-6/06-07 में पारित आदेश दि. 19.9.07 अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त कर दिया है जिसके कारण नायव तहसीलदार ने पक्षकारों की सुनवाई पुनः प्रारंभ की है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर भिण्ड ने अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के आदेश दिनांक 11.8.08 अनुसार नायव तहसीलदार को कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 09/2012-13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09.01.2013 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं । अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर